कार्यालय आयकर आयुक्त - I , नागपुर ' आयकर भवन ' तेलनखेड़ी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001 Office of the Commissioner of Income-Tax - I' NAGPUR ' Aayakar Bhavan' Telankhedi Road, Civil Lines, NAGPUR - 440 001

<u>फा॰संः सीआईटी-I /80-4 / S-216 / 2007-08</u>

नागपुर , दिनांक 21/06/2007

नाम

26/2/6/4/M

पता

विग्राह्म कंग्याउंड, ग्राह्मयाडा होड.

विषय:- आयकर अधिनियम की धारा 80 - जी के अंतर्गत आदेश (क्रारंभ करना / नवीनीकरण)

मेरे समक्ष बताये गये तथ्यों का सत्यापन करने पर / मेरे समक्ष हुई सुनवाई के आधार पर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि आपकी संस्था आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80 - जी के अंतर्गत शर्ते पूर्ण करती है । अब इसके बाद आपकी संस्था को जैसा कि नीचे उल्लेखित है, धारा 80 - जी (5) की शर्तों को पूरा करना होगा ।

- (1) यदि यहाँ उल्लेखित शर्तों में से किसी एक भी शर्त को प्रयुक्त न करने / अवहाा करने / दुरूपयोग करने / काट-छाँट करने अथवा किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर कानून के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से आदाता संस्था को वंचित कर दिया जायेगा ।
- (2) यह छूट दिनांक <u>01-04-2007</u> से दिनांक <u>31-03-2012</u> तक विधिमान्य होगी तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है -

ः शर्ते ::

आपको इस संस्थान के हिसाब की बहियाँ नियमित रूप से रखनी होगी तथा धारा 80 - जी (5)(iv) के साथ पठित धारा 12 ए (बी) का अनुपालन करते हुये उनका लेखा-परीक्षण करवाकर प्रतिवर्ष 30 नवम्बर / 31 दिसम्बर तक उन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

- (2) करदाताओं को जारी की जानेवाली प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं तारीख तथा वह प्रभाण-पत्र जिस तारीख तक मान्य है अर्थात निर्धारण वर्ष <u>२००८ -०१</u> से <u>२०/२-/3</u> तक का स्पष्ट उक्लेख होना चाहिये ।
- (3) यथोचित कानूनी कार्यविधि के बिना अर्थात वैधानिक सत्तावाले हाईकोर्ट के आदेश के बिना द्रस्ट / असोसिएशन के विलेख में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं तत्संबंधी सूचना इस कार्यालय को

- (4) धारा 80 जी के उपबंधों के अंतर्गत यदि आप धारा 12 ए / 12 एए (1) बी के अंतर्गत पंजीकृत हैं अधवा धारा 10 (22) (शिक्षा संस्थान), धारा 10 (22 ए) (अस्पताल), 10 (23) (खेलकूद असोसिएशन) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं तो धारा 80 जी (5)(1)(ए) के अंतर्गत व्यापार कारोबार से संबंधित आपको अलग-अलग लेखा-पुस्तकें रखनी होगी और तत्संबंधी सूचना इस कार्यालय को व्यापार अथवा कारोबार के प्रारंभ होने की तारीख से एक माह के अंदर देनी होगी।
- (5) धारा 80 जी के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त हुए किसी भी दान का उपयोग व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो ।
- (6) दानदाताओं को प्रमाण-पत्र जारी करते समय उपर्युक्त वचनबद्धता का पूरा-पूरा पालन करना होगा तथा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग / दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।
- (7) उक्त संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अपूर्त (नॉन-चेरिटेबल) प्रयोजन पूरा नहीं किया जाएगा , जैसा कि योगीराज ट्रस्ट के मामले में 107 आईटीआर - 777 (एससी) में उल्लेख किया गया है ।
- (8) यह सुनिश्चित किया जाए कि धारा 80 जी 5 (iii) के अंतर्गत जैसा कि प्रतिबंधित है कि आपके व्यारा इस संस्था का या इसके फण्ड का उपयोग किसी भी धार्मिक समुदाय विशेष अथवा जाति विशेष के लाभ हेतु नहीं किया जाएगा ।
- (9) आपके दूरट /सोसायटी / गैर लाभकारी कंपनी के मैनेठिंग दूरटी / मैनेजर के बारे में सूचना तथा जहाँ पर इस संस्था / दूस्ट की गतिविधियाँ चलाई जाएगी उसका पता इस कार्यालय को तथा संबंधित निर्धारण अधिकारी को देना होगा।
- (10) यदि इस कार्यालय से प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण करना नहीं चाहते हैं तो आस्तियों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा / किन प्रयोजनों हेतु आस्तियों का उपयोग किया जाएगा , इस बात की सूचना इस कार्यालय को तत्काल देनी होगी ।



(A. K. GARG)
Commissioner of Income Tax-I.
Nagpur.

1.	आवेदनकर्ता	निर्धारित
1.	आवदनकता	निधारित

2. अपर आयकर आयुक्त रेंज - <u>२, ठाउ। प्र</u>

3. आयकर उपायुक्त / आयकर सहायक _____ को सूचनार्थ

4. आयकर अधिकारी वार्ड २(२) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् ।

() ५ ५ - ८ १ १ ८ १८८२) आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(तकनीकी)

कृतेः आथकर आयुक्त - I

नागपुर